



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,

विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.
टेली/Tel: 022-28294756, 28294799 फैक्स/Fax: 28291754,
E-mail : dcseepz-mah@nic.in, Web-site : www.seepz.gov.org



फा.सं.सीपज़-सेज/सुरक्षा/अनुमति पत्र/07/2019/भाग-2/11767

दि. 20-07-2021


परिपत्र सं.- 23

विषय: गेट नं. 2 और 3 खोलने/बंद करने के समय में बदलाव करके संविधा बसेस को प्रवेश/निकास करने अनुमती संबंधी।

सीपज़-सेज युनिट कर्मचारियों को होनेवाली असुविधा को मद्दय नजर रखते हुए गेट नं. 2 और 3 का खोलने/बंद करने के समय में निम्ननुसार बदलाव करके संविधा बसेस को प्रवेश/निकास को अनुमती गेट नं. 1 के सामने का मेट्रो काम पुरा होने तक प्रदान की जाती है।

1. गेट नं.1 सुबह 05.30 बजे से रात 12.00 बजे तक (संविधा बसेस को प्रवेश/निकास नहीं)
2. गेट नं. 2 सुबह 05.30 बजे से रात 10.30 बजे तक (संविधा बसेस को प्रवेश 05.30 बजे से और निकास रात 10.30 बजे तक)
3. गेट नं. 3 सुबह 05.30 बजे से रात 11.00 बजे तक (संविधा बसेस को प्रवेश 05.30 बजे से और निकास रात 11.00 बजे के पहले)

यह परिपत्र विकास आयुक्त महोदय, सीपज़-सेज के अनुमोदन से तत्काल प्रभाव से लागू कीये जा रहा है।


(केशव जाधव)
सुरक्षा अधिकारी
सीपज़-सेज

प्रति:-

1. सीपज़ ईलेक्ट्रानिक्स मैनेज्. एसोसिएशन,
2. सभी यूनिट एवं जनोपयोगी सेवाएं, सीपज़-सेज
- ✓ 3. सीमाशुल्क अनुभाग
4. सुरक्षा अनुभाग
- ✓ 5. आईटी अनुभाग, सीपज़-सेज कृपया वेबसाइट पर अपलोड करें।